।। वेदाः सर्वहितार्थाय ।।

महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान

संलग्न जानकारी पत्रक में ही पूरी जानकारी दें।

अधुरी जानकारी देने से प्रवेश नहीं मिलेगा।

आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित बातों की पूर्तता करना आवश्यक हैं।

१) पासपोर्ट साईज के तीन रंगीन फोटो।

२) जन्मकुंडली की फोटोस्टॅट प्रत।

३) गांव के सन्मान्य व्यक्ति का शिफारसपत्र।

४) डॉक्टर का निरोगी होने का प्रमाणपत्र।

५) वेद पाठशाला से साक्षात्कार पत्र आने के बाद ही छात्र को पाठशाला में साक्षात्कार के लिये समय पर साथ में ले आएं। समय पर न आने से प्रवेश नहीं मिलेगा।

६) पाठशाला की नियमावली संलग्न है।

७) केवल प्रवेश आवेदनपत्र भेजने के बाद अपने छात्र को प्रवेश मिलेगा ही ऐसा नहीं। पाठशाला के छात्रों की संख्या निश्चित रहती है।

८) आवेदनपत्र दि. १० मई तक स्वीकृत किये जायेंगे। बाद में आये हुए आवेदनपत्र का विचार नहीं किया जायेगा।

९) आवेदनपत्र का जवाब आपको शीघ्र ही भेजा जायेगा।

प्रवेश के लिये आवेदनपत्र

(निम्नलिखित जानकारी स्वच्छ हस्ताक्षर में भरें)

अद्यतन (लेटेस्ट)
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

१) छात्र का पूरा नाम ----------

२) पालक का नाम और पता ----------

---------- पिन _____

दूरभाष क्र. (अपना/नजदीक का-एस्‌टीडी कोड के साथ) _____

३) पालक का छात्र से रिश्ता ----------

४) पालक का व्यवसाय ----------

५) वार्षिक आय (अंदाज से) ----------

६) छात्र का जन्म दिन _____ उमर _____
(साथ में जन्म दिन प्रमाणपत्र आवश्यक)

७) गोत्र ---------- शाखा ----------

८) पाठशाला की शिक्षा ---------- वार्षिक परीक्षा का परिणाम ---------

९) छात्र को कौन-कौनसी भाषाएँ अवगत है ? किन किन भाषाओं में लिख सकता है?

१) ------ २) ------ ३) ------ १) ------ २) ------ ३)------

१०) भविष्य में आप अपने विद्या का किस प्रकाररसे उपयोग करेंगे? पौरोहित्य/वेद अध्यापन/धर्मप्रसार/अन्य

११) नियमित रूप से क्या पढ़ते हैं ----------

ब) पाठशाला के अध्ययन के बाद कुछ वर्ष इसी संस्था में वेदसेवा के रूप में विभिन्न प्रकल्पों में कार्य करने की इच्छा है या नहीं?

---

१२) नियमित व्यायाम करते हैं क्या? यदि हाँ तो विवरण दें? ----------

१३) कोई जन्म का चिन्ह है? ----------

१४) रक्तगट _____ १६) चष्मा है? हाँ या ना १७) चष्मे का नंबर_____

१५) कुछ पुरानी व्याधि है क्या? ----------

पहले कभी शल्यचिकित्सा हुई क्या? ----------

१६) क्या दादाजी/पिताजी/अथवा अन्य कोई पौरोहित्य करते थे। सांप्रत अन्य कोई करते हैं?

---

१७) भाई/बहन कितने हैं? ----------

१८) वे क्या करते हैं ? ----------

१९) एक का पूरा पता ----------

२०) उपनयन संस्कार हुआ है क्या? ---------- गोत्र ----------

२१) निम्नलिखित में से क्या क्या आता है? (✓ चिन्ह करो)

संध्या _____	अग्निकार्य _____	रामरक्षा _____
गणपति अथर्वशीर्ष _____	सूर्यनमस्कार _____	मनाचे श्लोक _____
हरिपाठ _____	गायत्री मंत्र _____	हनुमान चालिसा _____

२२) नियमित रूप से संध्या करते हो? ----------

२३) दूरदर्शन देखते हो? कौन-कौनसे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?

---

२४) इससे पहले आप कौनसी पाठशाला में पढ़ते थे? ----------

२५) अपने गांव के दो प्रमुख मान्यवरों का शिफारसपत्र संलग्न करें :

सरपंच/तलाठी/नगरसेवक/डॉक्टर/अन्य

२६) अपनी वेद पाठशाला के समीप रहनेवाले दो रिश्तेदारों का नाम, पता एवं दूरभाष

१) नाम ----------

पता ----------

२) नाम ----------

पता ----------

छात्र का हस्ताक्षर ----------

अभिभावक का हस्ताक्षर ----------

पाठशाला में पालन करने के नियम

पालक और छात्रों हेतु सूचना

१) सभी छात्र सुबह निर्धारित समय पर घंटी बजते ही प्रार्थना के लिये उपस्थित रहें।

२) अपना निवासस्थान और साहित्य साफ-सुथरा रखें।

३) स्नानसंध्यादि कार्य सूर्योदय के पहले ही करना अनिवार्य है। बाद में सभी मिलकर नियमित रूप से प्रतिदिन अग्निकार्य करके न्यूनतम २४ सूर्यनमस्कारों का व्यायाम करें।

४) अल्पाहार एवं दुग्धपान करने के लिये नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहें।

५) समय सारिणीनुसार अपने अध्यापक के पास जाकर स्वाध्याय प्रारंभ करें।

६) भोजन के समय सभी समय पर उपस्थित रहें।

७) प्रात: संध्या, सायं संध्या और अग्निकार्य हर एक ने नियमित करना चाहिये।

८) पाठशाला के गुरुजन, ज्येष्ठ आप्त और अतिथियों के साथ सभी का व्यवहार एवं वर्तन नम्रतापूर्वक रहते हुए सभी की आज्ञा का पालन करें।

९) सभी छात्रों ने परंपरा से चल रहा मङ्गल (श्मश्रू) करना अनिवार्य है। हर एक छात्र का पोषाख परंपरानुसार स्वच्छ एवं शुद्ध होना।

१०) किसी भी छात्र ने मौलिक वस्तु नहीं लाना चाहिये। यदि लायी हो तो व्यवस्थापक के पास जमा करें। इसी तरह अपना धन भी व्यवस्थापक के पास जमा करें।

११) अध्यापक की अनुज्ञा बिना कोई भी छात्र पाठशाला के बाहर नहीं जायें। कार्यालय में रखी हुई नोंद वही में नोंद करना आवश्यक है। इस वही में आवश्यक जानकारी लिखकर अध्यापक की उस पर स्वाक्षरी होना अनिवार्य है।

१२) छात्र अपने अध्ययन के कार्यकाल में कहीं भी किसी भी तरह का अनुचित वर्तन न करें।

१३) सभी छात्र अपना निवासस्थान एवं परिसर सदा के लिये साफ-सुथरा रखें।

१४) पाठशाला की किसी भी वस्तू का प्रयोग कोई भी निजी कार्य हेतु नहीं करें। यदि करना हो तो विद्यालय प्रमुख की अनुमति लेना चाहिये। बाद में उसे संभालने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। इसका उल्लंघन करनेवाले को दंडित किया जायेगा।

१५) पाठशाला की किसी वस्तु का छात्र के हाथों नुकसान होगा तो उसका अर्थ दंड उसे देना पड़ेगा।

१६) दिनभर के सभी उपक्रम समय पर करने की जिम्मेदारी छात्र की है। विलंब अपेक्षित नहीं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहना हो तो उसकी पूर्वसूचना व अनुमति अपेक्षित है।

इन नियमों का पाठशाला के छात्रों ने पालन करना अनिवार्य है। नियम भंग करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश के नियम : पालक और छात्रों हेतु सूचना

उपरोक्त पाठशाला में प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित नियम और सूचनाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। संस्था के इन नियमों का और निम्नलिखित सूचनाओं का पालन करनेवाला छात्र पात्र समझकर उसे प्रवेश दिया जायेगा।

१) इस पाठशाला में छात्र को वेद एवं संस्कृत का अध्ययन करने के लिये कम से कम सात वर्ष रहना पड़ेगा।

२) प्रवेश लेते समय रु. ३000/- (रुपये तीन सहस्र मात्र) नगद रकम संस्था में अनामत के रूप से भरने की आवश्यकता है। संस्था की तरफ से उसकी रसीद मिलेगी। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात् अपने घर लौटते समय यह मूल रसीद संस्था में जमा करने के पश्चात् ही अनामत रकम लौटा दी जायेगी।

३) अध्ययन अपूर्ण छोड़कर छात्र के अपने घर चले जाने से अथवा छात्र के गैरवर्तन के कारण यदि उसे पाठशाला से निकाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के कुल निवास के कालावधि में पाठशाला ने उसके लिये किये हुए व्यय के कुछ हिस्से के रूप में प्रतिमास रु. १000/- (रुपये एक हजार मात्र) के दर से रकम भरने की आवश्यकता होगी।

४) प्रवेशार्थी छात्र न्यूनतम तीसरी कक्षा तक पढ़ाई किया हुआ और ग्यारह वर्ष की आयु का होना चाहिये। संस्था उसके निवास, भोजन और वेद संहिता कंठस्थ कर लेने की दृष्टि से अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था करेगी।

५) इस विद्यालय में विधिवत उपनयन संस्कार किये हुए छात्र को ही प्रवेश दिया जायेगा।

६) प्रवेश लेने के पश्चात् सामान्यतया पहले दो मास तक छात्रों की विभिन्न प्रकार से परीक्षा ली जाती है। उसमें सफल होनेवाले छात्र का प्रवेश पक्का किया जायेगा। इस परीक्षा में असफल छात्र को तुरंत अपने घर लौटना होगा। उसी समय उस छात्र को अमानत रकम की रसीद संस्था में जमा करके अपनी नकद रकम वापस लेनी है। इसी कारण छात्र का प्रवेश निश्चित रुप से तय होने तक अभिभावक अपने छात्र का अन्य पाठशालाओं में लिया हुआ प्रवेश रद्द न करें। प्रतिमास परीक्षा ली जाएगी, उसमें उत्तीर्ण होना हर छात्र के लिए आवश्यक है।

७) अध्ययन के काल में छात्र का वर्तन संस्था को अहितकारक तथा अनुचित लगने पर तुरंत पाठशाला से निकाला जायेगा।

८) अपने पाल्य को मिलने के लिये अभिभावक प्रतिवर्ष अधिकतम दो बार आ सकते हैं। मिलने के बाद तुरंत लौटने की अपेक्षा है। (अधिक दिन नहीं रह सकते) पालकों के अलावा अन्य रिश्तेदार, मित्र अथवा अन्य परिचित का पाल्य को मिलकर त्वरित लौटना अपेक्षित है। अधिक काल रहने की इच्छा हो तो उसकी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। इसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।

९) अभिभावक अपने पाल्य के पास कीमती वस्तु अथवा नकद रकम न दें। आवश्यकता हो तो व्यवस्थापक के पास जमा करना उचित है।

१०) पाल्य को किसी कारण घर ले जाने की आवश्यकता हो तो संस्था प्रमुख के लिखित अनुज्ञा की आवश्यकता है।

११) पाल्य को मिलने के बाद पालकों ने अपने छात्र की अध्ययनसंबंधी जानकारी अध्यापकों से मिलकर लेने की अपेक्षा है।

१२) प्रतिवर्ष, पाठशाला को दी हुई छुट्टी समाप्त होने के बाद प्रारंभ के दिन यदि छात्र समय पर पाठशाला में उपस्थित नहीं होगा तो उसे रु. ३०१/- (रुपये तीनसौ एक मात्र) जुर्माना किया जायेगा। (कुछ अपरिहार्य कारण से विलंब होता है तो छात्र ने अपने अभिभावक के साथ पाठशाला में आएं। अपने अनुपस्थिति की पूर्व सूचना संस्थाचालक को देना आवश्यक है।)

१३) अपने पाल्य को किसी प्रकार की व्याधि हो तो उसकी और कुल दवा-उपचार की जानकारी पहले ही अध्यापक/व्यवस्थापक को देना आवश्यक है।

१४) इसके अतिरिक्त पालक अथवा संबंधित रिश्तेदारों को अपने पाल्य को दूरभाष करना आवश्यकही हो तो केवल रात को ८.३० से ९.३० इस कालावधि में ही करें। बार-बार छात्र को दूरभाष करने से उसका मन अस्थिर होता है और अध्ययन की ओर ध्यान रहना कठिन होता है। इसीलिये महत्त्वपूर्ण घटना हो तो ही उपरोक्त समय में दूरभाष करना। कोई गंभीर घटना घटी हो तो कभी भी प्रधानाचार्य/व्यवस्थापक को दूरभाष किया जा सकता है।

१५) पालक गण ध्यान रखें कि उनके पाल्य को वेदविद्यालय में अध्ययन हेतू प्रवेश दिया जा रहा है नाकि अध्यापक के पास।

१६) यदि वेदविद्यालय की अध्ययन क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को अध्ययन हेतू प्रतिष्ठान द्वारा संचालित/प्रतिष्ठान से संलग्न अन्य वेदविद्यालयों में भेजा जा सकता है।

उपर लिखे हुए सभी नियम मैंने पढ़े हैं। मुझे वे समझ गये है और उनका मैं पालन करूँगा ऐसा आश्वासन देता हूँ।

पालक का नाम और हस्ताक्षर

छात्र का नाम और हस्ताक्षर _____

_____

पालक का नाम और हस्ताक्षर _____

_____

पत्ता _____

_____

दूरभाष _____